धारा 20 : प्रकीर्ण संक्रमणकालीन उपबंध

(1) जहां ऐसा कोई माल जिस पर विद्यमान विधि के अधीन कर, यदि कोई हो, उसके ऐसे विक्रय के समय, जो नियत दिन से पूर्व छह मास से पहले का हो, संदत्त कर दिया था, नियत दिन को या उसके पश्चात् कारबार के किसी स्थान को लौटा दिया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विद्यमान विधि के अंधीन संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए उस दशा में पात्र होगा जहां ऐसा माल नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा लौटाया जाता है और ऐसा माल उचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पहचान योग्य है :

परन्तु यदि उक्त माल किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लौटाया जाता है तो ऐसे माल के लौटाए जाने को प्रदाय समझा जाएगा।

(2) (क) जहां नियत दिन से से पहले की गई संविदा के अनुसरण में, नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी माल की कीमत को ऊपर की ओर पुनरीक्षित किया जाता है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने माल का विक्रय किया था, प्राप्तिकर्ता को ऐसी कीमत पुनरीक्षण के तीस दिन के भीतर एक अनुपूरक बीजक या नामे नोट जारी करेगा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो विहित की जाएं और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक या नामे नोट को, इस अधिनियम के अधीन किए गए जावक प्रदाय के संबंध में जारी किया गया समझा जाएगा।

(ख) जहां नियत दिन से पहले की गई संविदा के अनुसरण में नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी माल की कीमत को नीचे की ओर पुनरीक्षित किया जाता है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल का विक्रय किया था, प्राप्तिकर्ता को ऐसी कीमत पुनरीक्षण के तीस दिन के भीतर, एक जमापत्र जारी कर सकेगा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, जो विहित की जाएं और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे जमापत्र को इस अधिनियम के अधीन किए गए जावक प्रदाय के सम्बन्ध में जारी किया गया समझा जाएगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जमापत्र के जारी किये जाने के मद्दे उसके कर दायित्व को कम करने के लिए केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा, जब जमापत्र के प्राप्तिकर्ता ने कर दायित्व की ऐसी कमी के तत्समान अपने इनपुट कर प्रत्यय को कम कर दिया हो।

(3) किसी व्यक्ति द्वारा, नियत दिन के पहले, नियत दिन को या उसके पश्चात् विद्यमान विधि के अधीन संदत्त इनपुट कर प्रत्यय, कर, ब्याज की किसी रकम के या संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय के लिए फाइल किए गए प्रतिदाय के प्रत्येक दावे का निपटारा विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा और उसको प्रोद्भूत किसी परिणामिक रकम का प्रतिदाय उसे उक्त विधि के उपबन्धों के अनुसार नकद में किया जाएगा :

परन्तु जहां इनपुट कर प्रत्यय की रकम के प्रतिदाय का कोई दावा पूर्णतया या भागतः अस्वीकार कर दिया जाता है, वहां इस प्रकार अस्वीकार की गई रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय की किसी रकम का प्रतिदाय वहां अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां नियत दिन को उक्त रकम का अतिशेष इस अधिनियम के अधीन अग्रनीत कर दिया गया है।

(4) नियत दिन से पहले या उसके पश्चात् निर्यात् किए गए माल के सम्बन्ध में विद्यमान विधि के अधीन संदत्त किसी कर के प्रतिदाय के लिए नियत दिन के पश्चात् फाइल किए गए प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावे का निपटारा विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु जहां इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णतया या भागतः अस्वीकार कर दिया जाता है, वहां इस प्रकार अस्वीकार की गई रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह और कि इनपुट पर प्रत्यय की किसी रकम के लिए कोई प्रतिदाय वहां अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां नियत दिन को उक्त रकम का अतिशेष इस अधिनियम के अधीन अग्रनीत किया गया है।

(5) **(क)** विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए किसी दावे से सम्बन्धित अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही का निपटारा, चाहे वह नियत दिन से पहले, नियत दिन को या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा और दावाकर्ता के लिए अनुज्ञेय पाई जाने वाली प्रत्यय की किसी रकम का प्रतिदाय, उसे विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार नकद रूप में किया जाएगा और अस्वीकृत रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी :

परंतु इनपुट कर प्रत्यय की किसी रकम का प्रतिदाय वहां अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, जहां नियत दिन को उक्त रकम का अतिशेष इस अधिनियम के अधीन अग्रणित किया गया है।

(ख) विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय की वसूली से संबंधित अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही का निपटारा, चाहे वह नियत दिन से पहले, नियत दिन को या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा और यदि प्रत्यय की कोई रकम, ऐसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश के परिणामस्वरूप वसूल किये जाने योग्य है तो उसे, विद्यमान विधि के अधीन वसूल किए जाने तक इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(6) **(क)** विद्यमान विधि के अधीन किसी आउटपुट कर दायित्व से सम्बन्धित अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही का निपटारा, चाहे वह नियत दिन से पहले, नियत दिन को या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और यदि ऐसी कोई रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश के परिणामस्वरूप वसूल किए जाने योग्य है तो उसे, विद्यमान विधि के अधीन वसूल किए जाने तक इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(ख) विद्यमान विधि के अधीन किसी आउटपुट कर दायित्व से संबंधित अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही का निपटारा, चाहे वह नियत दिन से पहले, नियत दिन को या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और यदि दावाकर्ता के प्रति अनुज्ञेय किसी रकम का प्रतिदाय उसे विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार नकद में किया जाएगा तथा अस्वीकृत रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय

नहीं होगी।

(7) (क) जहां विद्यमान विधि के अधीन संस्थित निर्धारण या न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियों के अनुसरण में, चाहे वे नियत दिन से पहले, नियत दिन को या उसके पश्चात् संस्थित की गई हों, व्यक्ति से कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की कोई रकम वसूल किए जाने योग्य है, वहां उसे विद्यमान विधि के अधीन वसूल किए जाने तक इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन संस्थित निर्धारण या न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियों के अनुसरण में, चाहे वे नियत दिन से पहले, नियत दिन को या उसके पश्चात् संस्थित की गई हो, किसी कराधेय व्यक्ति के प्रति कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की कोई रकम प्रतिदेय हो गई है वहां उक्त विधि के अधीन उसे, उसका नकद में प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकृत रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(8) (क) जहां विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी को नियत दिन के पश्चात् पुनरीक्षित किया जाता है और यदि, ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम वसूल किए जाने योग्य पाई जाती है या इनपुट कर प्रत्यय की कोई रकम अननुज्ञेय पाई जाती है तो उसे विद्यमान विधि के अधीन वसूल किए जाने तक इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई रकम, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी को नियत दिन के पश्चात् किन्तु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर पुनरीक्षित किया जाता है और यदि, ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में, किसी कराधेय व्यक्ति के प्रति कोई रकम प्रतिदेय पाई जाती है या इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञेय पाया जाता है तो वहां उसे विद्यमान विधि के अधीन उसका नकद में प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकृत रकम यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(9) इस अध्याय में जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, नियत दिन से पहले की गई संविदा के अनुसरण में नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रदाय किए गए माल या सेवाएं या दोनों इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर के दायित्व के अधीन होंगे।

(10) (क) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 12 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर, उस विस्तार तक कोई कर संदेय नहीं होगा, जिस तक विद्यमान विधि के अधीन उक्त माल पर कर उद्ग्रहणीय था।

(ख) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सेवाओं पर उस विस्तार तक कोई कर संदेय नही होगा, जिस तक वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय 5 के अधीन उक्त सेवाओं पर कर उद्ग्रहणीय था।

(ग) जहां किसी प्रदाय पर, माल के विक्रय से संबंधित किसी विद्यमान विधि के अधीन और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय 5, दोनों के अधीन कर संदत्त किया गया था, वहां इस अधिनियम के अधीन कर उद्ग्रहणीय होगा और कराधेय व्यक्ति नियत दिन के पश्चात् किए गए प्रदायों की सीमा तक विद्यमान विधि के अधीन संदत्त मूल्यवर्धित कर या सेवा कर का प्रत्यय लेने का हकदार होगा और ऐसे प्रत्यय की

संगणना ऐसी रीति में की जाएगी जो विहित की जाए।

(11) जहां ऐसे अनुमोदन के आधार पर जो नियत दिन से पूर्व छह मास पहले का न हो, भेजा गया कोई माल क्रेता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, या उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है और उसे नियत दिन को या उसके पश्चात् विक्रेता को लौटा दिया जाता है, वहां उस पर कोई कर संदेय नहीं होगा यदि ऐसा माल नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर लौटा दिया जाता है :

परन्तु आयुक्त द्वारा छह मास की उक्त अवधि को दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर, दो मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व के अधीन है और इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लौटाया जाता है तो माल को लौटाने वाले व्यक्ति द्वारा कर संदेय होगा :

परन्तु यह भी कि यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व के अधीन है और इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लौटाया जाता है तो कर ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जिसने अनुमोदन आधार पर माल भेजा था।

(12) जहां किसी प्रदायकर्ता ने किसी ऐसे माल का विक्रय किया है जिसके संबंध में माल के विक्रय से संबंधित किसी विद्यमान विधि के अधीन स्त्रोत पर कर की कटौती का किया जाना अपेक्षित था और उसने उसके लिए नियत दिन से पहले बीजक भी जारी किया है, वहां उस स्थिति में जहां उक्त प्रदायकर्ता को संदाय नियत दिन को या उसके पश्चात् किया जाता है, इस अधिनियम को लागू होने वाले केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 के अधीन कटौतीकर्ता द्वारा उक्त धारा के अधीन स्त्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ''पूंजी माल'' पद का वही अर्थ होगा जो माल के विक्रय संबंधित किसी विद्यमान विधि में उसका है।